



# राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा अकेलगढ़ रावतभाटा रोड, कोटा 324010

फोन (0744)-2473003 फेक्स (0744)-2473033

क्र0: एफ(2)/बोम-24/2015/

दिनांक: 29.07.2015

प्रो. विनय कुमार पाठक, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा / श्री प्रेम सिंह मेहरा, (आई.ए.एस), प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर / श्री पवन कुमार गोयल (आई.ए.एस), प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर / श्री एस.के.सिंह, निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, डब्ल्यू-6 रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। प्रो0 राजीव गुप्ता, डीन फेकल्टी एफेयर, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा / श्री आर.पी. त्रिपाठी, सहायक प्रोफेसर, एचईएस विभाग, यूसीई, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा / प्रो. एन. पी. कौशिक, प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा / प्रो. अनिल के0 माथुर, प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, यूसीई, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा / प्रो0 संजीव मिश्रा, कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा / डॉ. राकेश मोहन जोशी, प्रोफेसर एवं चेयरपर्सन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेन ट्रेड, बी-21, कुतुब इन्स्टीट्यूशन ऐरिया, नई दिल्ली / डॉ. आशा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डी-4, वसंतकुंज, नई दिल्ली-110070 / श्री औंकार सिंह, सम्भागीय आयुक्त महोदय, कोटा संभाग, कोटा / प्रो0 जी0एस0 डंगायच, प्रोफेसर (यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग), मालवीया नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नॉलोजी, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर / डा0 जी0डी0 अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर (यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग), मालवीया नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नॉलोजी, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर / श्री भवानी सिंह राजावत, माननीय विधायक (लाड़पुरा) ए-7, वल्लभबाड़ी, कोटा / प्रो. धीरेन्द्र माथुर, प्रोफेसर, नेनो टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा श्री प्रहलाद गुंजल, माननीय विधायक (कोटा उत्तर), 7-डी-15, महावीर नगर विस्तार कोटा / श्री गजानंद सोनी, वित्त नियंत्रक, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (विशेष आमंत्रित सदस्य) / प्रो0 आर. श्रुगी, डीन, एकेडेमिक अफेयर्स, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (विशेष आमंत्रित सदस्य) / प्रो0 प्रवीण कुमार अग्रवाल, परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (विशेष आमंत्रित सदस्य) / श्री प्रवीण भण्डारी, एसोसिएट प्रोफेसर (यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (विशेष आमंत्रित सदस्य)


विषय : प्रबंध मण्डल की 24वीं बैठक के कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत।

महोदय,

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की प्रबंध मण्डल की 24वीं बैठक दिनांक 13.07.2015 (सोमवार) को सम्पन्न हुई थी। उपरोक्त कार्यवाही विवरण में प्राप्त सुझावों को सम्मिलित कर बैठक के कार्यवाही विवरण अंतिम रूप से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


भवदीय

  
(प्रो0 विवेक पाण्डे)

कुलसचिव एवं  
सदस्य सचिव, प्रबंध मण्डल



# राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा



## प्रबन्ध मण्डल बैठक कार्यवाही विवरण

बैठक संख्या (24) चौबीसवीं

स्थान कुलपति कक्ष, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

दिनांक 13.07.2015 (सोमवार)

समय प्रातः 11.00 बजे

*[Handwritten Signature]*

दिनांक 13.07.2015 को सम्पन्न हुई प्रबंध मण्डल की बैठक के कार्यवाही विवरण

दिनांक 13.07.2015 को सम्पन्न हुई प्रबंध मण्डल की बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे:-

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. प्रो. विनय पाठक       | अध्यक्ष                               |
| 2. श्री ओंकार सिंह       | प्रमुख शासन सचिव (वित्त) के प्रतिनिधि |
| 3. श्री प्रहलाद गुंजल    | माननीय विधायक एवं सदस्य               |
| 4. प्रो. एन. पी कौशिक    | सदस्य                                 |
| 5. प्रो. राजीव गुप्ता    | सदस्य                                 |
| 6. प्रो. अनिल के. माथुर  | सदस्य                                 |
| 7. प्रो. धीरेन्द्र माथुर | सदस्य                                 |
| 8. श्री आर पी त्रिपाठी   | सदस्य                                 |
| 9. प्रो. संजीव मिश्रा    | सदस्य सचिव                            |

श्री भवानी सिंह राजावत, श्री एस. के. सिंह, प्रो० जी.एस. डंगायच, डा. जी.डी. अग्रवाल, प्रो. राकेश मोहन जोशी, डा. आशा सिंह बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यापर्ण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर बैठक को विधिवत रूप से प्रारम्भ किया गया।



**BoM 24.1**

**To welcome new members of BoM and appreciate contribution made by out-going members.**

BoM welcomes new Chairman of the BoM Prof. Vinay Pathak and as a member Prof. Dharendra Mathur.

BoM also appreciates the contributions made by Prof. N.S. Vyas, Ex Chairman of BoM and Prof. M.M. Sharma, Member of BoM.

The list of current Honourable Members is enclosed for perusal of members (Annexure-24.1 Page No. 1 to 2).

**Resolution 24.1 Approved.****प्र.म. 24.1**

प्रबन्ध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना।

प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा नए अध्यक्ष माननीय प्रो. विनय कुमार पाठक, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा का स्वागत किया गया एवं निवर्तमान अध्यक्ष माननीय प्रो.एन.एस.व्यास एवं प्रो. एम.एम. शर्मा, निवर्तमान सदस्य प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिए गए अमूल्य सहयोग की सराहना की गई। प्रबन्ध मण्डल नए सदस्य प्रो.धीरेन्द्र माथुर का भी हार्दिक स्वागत करता है। (परिशिष्ट 24.1 पृष्ठ 1-2)

**संकल्प 24.1****अनुमोदन किया गया।****BoM 24.2**

**To consider the minutes of 23rd meeting of BOM held on 14.03.2015**

The 23<sup>rd</sup> meeting of Board of Management was held on 14.03.2015. Minutes of the meeting were circulated amongst members. (Annexure-24.2 page 03 to 21)

Members are requested to kindly approve the same.

**Resolution 24.2 Approved.****प्र.म. 24.2**

दिनांक 14.03.2015 को हुई प्रबन्ध मण्डल की 23वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।

प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 14.3.2015 को आयोजित 23वीं बैठक का कार्यवाही विवरण (परिशिष्ट संख्या 24.2 पृष्ठ संख्या 3 से 21 तक) माननीय सदस्यों को प्रेषित किये गये थे।



उक्त कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

संकल्प 24.2

अनुमोदन किया गया।

BoM 24.3

**To consider action taken report on the approved minutes of 23<sup>rd</sup> meeting of BOM held on 14.03.2015:**

A consolidated report on the action taken on resolutions adopted by the Board of Management in its 23<sup>rd</sup> meeting is submitted for perusal and approval as under.

**Action Taken Report of 23<sup>rd</sup> BoM Meeting**

S. No.	Particular	Action taken
BoM 23.1	To welcome new members of BoM and appreciate contribution made by out-going members.	Seen
BoM 23.2	To consider the minutes of 20 <sup>th</sup> meeting of BOM held on 23.09.2014 and 21 <sup>st</sup> Special Meeting of BOM held on 05.02.2015 and 22 <sup>nd</sup> Special Meeting of BOM held on 27.02.2015	Approved
BoM 23.3	To consider action taken report on the approved minutes of 20 <sup>th</sup> meeting of BOM held on 23.09.2014, 21 <sup>st</sup> Special Meeting dated 05.02.2015 and 22 <sup>nd</sup> Special Meeting dated 27.02.2015	Approved
BoM 23.4	To consider the Minutes of the 18 <sup>th</sup> Special meeting of the Academic Council to be held on 14.03.2015	Seen
BoM 23.5	To consider AICTE norms issued vide Gazette Notification dated 8 <sup>th</sup> Nov. 2012 and approved by State Govt. recommending Performance Based Appraisal System (PBAS) and Academic Performance Indicators for promotion of teachers under Career Advancement Scheme (CAS).	office order issued vide no. 5114-25 dated 24.06.2015 (Annexure 24.3.1 Page No 22)
BoM 23.6	To consider the recommendations of the selection committees for the selection of Professor in Computer Science and Engineering and Assistant Professor in Electronics Inst. & Control.	Letter written to the Hon'ble Governor for direction. (Annexure 24.3.2 Page 23-24)
BoM 23.7	To appoint retired technical education	Matter referred to Finance



	teachers as emeritus professor for two years as per AICTE/UGC norms.	Committee
BoM 23.8	To issue appointment letter to waitlisted candidates on the recently filled posts where selected candidates do not join or have resigned.	Office order issued vide no. 24996-25004 dated 20.3.2015 & 24987-95 dated 20.3.2015 (Annexure 22.3.3 Page No.25-28)

**Resolution 24.3 Approved.**

प्र.म.24.3 दिनांक 14.03.2015 को हुई प्रबंध मण्डल की 23वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की कार्य पालना प्रतिवेदन ।

**23वीं प्रबंध मण्डल की बैठक का कार्य पालना प्रतिवेदन**

क्र.सं.	विवरण	अनुपालना प्रतिवेदन
प्र.म. 23.1	नए सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना	अवलोकन किया गया ।
प्र.म. 23.2	दिनांक 23.9.2014, 5.2.2015 एवं 27.2.2015 को आयोजित प्रबंध मण्डल की क्रमशः 20वीं, 21 वीं विशेष एवं 22वीं विशेष बैठकों की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन ।	अनुमोदन किया गया ।
प्र.म. 23.3	दिनांक 23.9.2014, 5.2.2015 एवं 27.2.2015 को आयोजित प्रबंध मण्डल की बैठकों की कार्यवाही विवरण पर कार्य पालना प्रतिवेदन का अनुमोदन ।	अनुमोदन किया गया ।
प्र.म. 23.4	दिनांक 14.3.2015 को आयोजित अकादमिक परिषद की 18वीं विशेष तथा बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन	माननीय सदस्यों द्वारा अकादमिक परिषद की बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया ।
प्र.म.23.5	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा दिनांक 8 नवम्बर 2012 को प्रसारित गजट सूचना तथा राज्य सरकार के अनुमोदन के अनुरूप विश्वविद्यालय शिक्षकों को Performance Based Appraisal System(PABS) and Academic Performance Indicators के आधार पर कैरियर एडवान्समेंट स्कीम का लाभ दिए जाने के विचारार्थ ।	आदेश क्रमांक-5114-25 दिनांक 24.6.2015 जारी कर दिया गया है । आदेश की प्रति (परिशिष्ट 24.3.1 पृष्ठ संख्या 22 पर) संलग्न है ।
प्र.म.23.6	प्रोफेसर कम्प्यूटर इंजीनियरिंग एवं सहायक प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी. हेतु चयन समिति की अनुशंसा पर विचार विमर्श	इस संबंध में माननीय राज्यपाल महोदय से दिशा निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र दिनांक जारी किया गया है जिसकी प्रति (परिशिष्ट संख्या 24.3.2 पृष्ठ संख्या 23-24 पर) अवलोकनार्थ संलग्न है ।
प्र.म.23.7	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्डों के अनुरूप सेवा निवृत्त शिक्षकों को एमेरिट्स प्रोफेसर के रूप में दो वर्ष के लिए नियुक्ति देने के संबंध में	निर्णयानुसार प्रकरण को वित्त समिति को प्रेषित कर दिया गया है ।
प्र.म.23.8	चयनित शिक्षकों द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने पर अथवा पदभार ग्रहण करने के उपरान्त त्यागपत्र देने से रिक्त हुए पदों पर प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों (शिक्षकों)को नियुक्ति देने बाबत	इस संबंध में आदेश क्रमांक-24996-25004 एवं 24987-95 दिनांक 20.3.2015 जारी कर प्रतीक्षारत सूची में से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं, प्रतियां (परिशिष्ट संख्या 22.3.3 पृष्ठ संख्या 25-28 पर) माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ संलग्न है

संकल्प 24.3

अनुमोदन किया गया ।



**BoM 24.4**

**To consider the Minutes of the 19<sup>th</sup> Special Academic Council held on 29.04.2015 and 20<sup>th</sup> Special Academic Council held on 4.06.2015**

The meeting of the 19<sup>th</sup> Academic council held on 29.04.2015 (Annexure-24.4.1 page No. 29-34) and the meeting of the 20<sup>th</sup> Academic Council held on 4.06.2015 (Annexure-24.4.2 page No. 35-42)

The minutes of the meeting placed before the BoM members.

Members are requested to kindly approve the same.

**Resolution 24.4 Approved**

प्र.म.24.4

क्रमशः दिनांक 29.4.2015 एवं 4.6.2015 को आयोजित विशेष अकादमिक परिषद की बैठकों के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत

क्रमशः दिनांक 29.4.2015 एवं 4.6.2015 को आयोजित अकादमिक परिषद की बैठकों के कार्यवाही विवरण क्रमशः (परिशिष्ट संख्या 24.4.1 पृष्ठ संख्या 29 से 34) एवं (परिशिष्ट संख्या 24.4.2 पृष्ठ संख्या 35 से 45 तक) अवलोकनार्थ संलग्न है ।

उक्त कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

संकल्प 24.4

*अनुमोदन किया गया ।*


**BoM 24.5**

**To approve the minutes of 13<sup>th</sup> meeting of Finance Committee held on 31.03.2015 and minutes of 14<sup>th</sup> meeting of Finance Committee held on 29.05.2015**

The 13<sup>th</sup> Finance Committee was held on 31.03.2015 and its minutes are placed at (Annexure 24.5.1 Page No. 43-106) and the 14<sup>th</sup> Finance Committee was held on 29.05.2015 and its minutes are placed at (Annexure 24.5.2 Page No. 107-124).

Members are requested to kindly approve the same.

**Resolution 24.5 Approved with remark that purchase/works more than two lac tender will be done by E tender.**



प्र.म.24.5

दिनांक 31.3.2015 एवं 29.5.2015 को आयोजित वित्त समिति की बैठकों के कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ ।

दिनांक 31.3.2015 एवं 29.5.2015 को आयोजित वित्त समिति की 13वीं एवं 14वीं बैठकों का कार्यवाही विवरण क्रमशः (परिशिष्ट संख्या 24.5.1 पृष्ठ संख्या 43 से 106) एवं (परिशिष्ट संख्या 24.5.2 पृष्ठ संख्या 107 से 124 तक) संलग्न है ।

संकल्प 24.5

उक्त कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।  
दो लाख से ज्यादा के क्रय / निर्माण इ-टेंडर के माध्यम से करने की टिप्पणी के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

BoM 24.6

**Nomination of a person by Board of Management as member of selection committee for appointment of Vice Chancellor.**

Under section 11(1) (ka) of RTU Act 2006, due to resignation of the then Vice Chancellor of RTU, Kota a direction has been received from HE, the Governor of Rajasthan and Chancellor of Rajasthan Technical University, Kota to conduct a meeting of Board of Management to nominate a person's name with designation, address, phone numbers, Fax and Email ID as a member of selection committee for appointment of Vice Chancellor of RTU, Kota (Annexure 24.6 Page No. 125)

Members are requested to suggest and approve the name accordingly.

**Resolution 24.6**

**1. As per Act no 11(i) of RTU Act 2006 in which "one person nominated by the Board not being a person connected with the University, or any affiliated or Consituent College."**

**2. The panel of distinguished experts were presented in the BoM:**

**(a) Prof. S.G. Dhande**

**(b) Prof. Yogesh Singh**

**(c) Prof. Bhagwat Prakash Sharma**

**(d) Prof. Rajneesh Arora**

**(e) Prof. N.S. Vyas**



3. The members of panel were discussed at great length by hon'ble members of the BoM.

4. Hon'ble member Shri Prahlad Gunjal proposed name of Prof Bhagwat Prakash Sharma. But it was pointed out that under act no 11(i) of RTU Act 2006, Prof. Bhagwat Prakash Sharma can not be the choice as he is connected with the organization which is also affiliated to RTU.

Hence, the name of Prof. Yogesh Singh, Ex Vice Chancellor, M.S. Univesity Baroda & Director, NSIT New Delhi is unanimously nominated by the Hon'ble members for the selection committee of Vice Chancellor of Rajasthan Technical University, Kota.

प्र.म.24.6

कुलपति चयन समिति में प्रबंध मण्डल द्वारा सदस्य मनोनीत करने के संबंध में।

पूर्व में चयनित कुलपति महोदय द्वारा त्यागपत्र देने के उपरांत रिक्त हुए कुलपति पदपर नियुक्ति के संबंध में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 11(1) (क) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदय से पत्र प्राप्त हुआ है कि उक्त अधिनियम की अनुपालना में प्रबन्ध मण्डल द्वारा मनोनीत सदस्य का नाम पता दूरभाष न., फेक्स, ईमेल पता इत्यादि की सूचना प्रेषित करावें। माननीय राज्यपाल महोदय से प्राप्त पत्र (परिशिष्ट संख्या 24.6 पृष्ठ संख्या 125 पर) अवलोकनार्थ संलग्न है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस संबंध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा तदनुसार मनोनीत सदस्य के नाम का प्रस्ताव एवं अनुमोदन करें।

संकल्प 24.6

1. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 11 (i) में उल्लेखित अनुसार " बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या किसी संबद्ध या घटक महाविद्यालय से संबंधित कोई व्यक्ति न हो"।

2. विशिष्ट विशेषज्ञों का पैनल प्रबंध मण्डल में प्रस्तुत किया गया।

(अ) प्रो० एस. जी. ढांडे

(ब) प्रो० योगेश सिंह

(स) प्रो० भगवती प्रसाद शर्मा

(द) प्रो० रजनीश अरोड़ा

(य) प्रो० एन.एस. व्यास

3. श्री प्रहलाद गुंजल, माननीय सदस्य ने प्रो० भगवती प्रसाद शर्मा का नाम प्रस्तावित किया। चूंकि प्रो० भगवती प्रसाद शर्मा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंध संस्था से संबंधित हैं, अतः इनका नाम नामित नहीं किया जा सकता



4. अतः माननीय सदस्यों ने सर्व समिति सेप्रो० योगेश सिंह, पूर्व कुलपति, एम.एस. विश्वविद्यालय, बड़ोदा तथा निदेशक एन.एस.आई.टी. नई दिल्ली का नाम राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन समिति में नामित किया गया।

**BoM 24.7**

To consider the recommendations of the selection committees for the promotion of Asstt. Prof., Asso. Prof. and Professors in various departments of RTU under CAS.

RTU has implemented CAS for the teachers eligible up to 7.11.2012 following the provision of the V pay scale and from 8.11.2012 under the provisions of VI pay scale.

The recommendations of the selection committees for the post of Asstt. Prof., Asso. Prof. and Professors are placed for approval of the Hon'ble members.

**Resolution 24.7** *The recommendations of the Cases by the CAS Committees under Career Advancement Schemes were approved as under by the BoM. The BoM also resolved to issue the orders today itself.*

**1. University Department of Civil Engineering**

**i. Professors ( V pay)**

*Dr. J.K. Sharma w.e.f. 18.8.2009*

*Dr. A.K. Dwivedi w.e.f. 7.9.2009*

*Dr. Rajesh Singhal (Geology) w.e.f. 23.6.2010*

*Dr. Ajay Bindlish w.e.f. 23.8.2012*

**ii. Professors (VI pay)**

*Dr. K.S. Grover w.e.f. 20.6.2015*

**iii. Associate Professor**

*Dr. Vaibhaw Garg w.e.f. 25.4.2011 (Selection Scale)  
and 25.4.2014 (Associate Professor designation)*

**2. University Department of Mechanical Engineering**


**i. Professor (V pay)**

*Dr. R. Shringi ( P&I) w.e.f. 20.4.2009*

*Dr. Sanjeev Mishra w.e.f. 23.8.2009*

*Dr. V.K. Gorana (P&I) w.e.f. 17.7.2012*

**ii. Professor (VI pay)**



*Dr. Anand Chaturvedi (P&I) w.e.f. 8.11.2012*

**iii. Associate Professor (V pay)**

*Dr. Shiv Lal w.e.f. 2.5.2009(Selection Scale)  
and 2.5.2012 (Associate Professor designation)*

**3. University Department of Electrical Engineering**

**i. Professor (V pay)**

*Dr. Annapurna Bhargava w.e.f. 26.12.2009*

**ii. Professor (VI pay)**

*Dr. Shashi Raj Kapoor w.e.f. 1.5.2014*

*Dr. Dheeraj Palwalia w.e.f. 21.11.2013*

**4. University Department of Electronics Engineering**

**i. Professor (V pay)**

*Dr. Ranjan Maheshwari(EIC) w.e.f. 7.08.2009*

**ii. Associate Professor(Assistant Professor V pay)**

*Dr. Rajesh Bhatt(EC) w.e.f. 27.04.2009(Selection  
Scale) and 27.4.2012 (Associate Professor  
designation)*

**5. University Department of HEAS**

**i. Professor (V pay)**

*Dr. Diwakar Sharma (Chemistry) w.e.f. 07.05.2010*

*Dr. R.C. Bohra (Mathematics)w.e.f. 01.08.2008*

**ii. Professor (VI pay)**

*Dr. Sunil Jain (Physics) w.e.f. 08.11.2012*

*Dr. Rajesh Lidiya (English) w.e.f. 06.05.2013*


*Dr.(Mrs.) Manisha Vyas (Humanities) w.e.f.  
28.04.2013*

*Dr. Vivek Pandey (Chemistry) w.e.f. 08.11.2012*

**iii. Assistant Professor (Lecturer-(senior scale)(V pay)**

*Dr. Irum Alvi (English) w.e.f. 28.06.2012*

Stage-I (AGP Rs. 6000/-) to Stage-II (AGP 7000/-)



## Assistant Professor

Sh. Deepak Bhatia	EC	w.e.f. 25.6.13
Sh. Dinesh Soni	CSE	w.e.f. 26.6.14
Smt. Nirmala Sharma	CSE	w.e.f. 26.6.14
Sh. Santosh Kumar Sharma	EE	w.e.f. 30.6.13
Smt. Seema Agarwal	EE	w.e.f. 24.7.13
Smt. Sunita Chahar	EE	w.e.f. 24.7.13

प्र.म.24.7

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों में केरियर एडवॉन्समेंट स्कीम के अन्तर्गत सहायक प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों पर पदोन्नति के संबंध में चयन समिति की अनुशंसाएँ अनुमोदनार्थ ।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय दिनांक 8.11.2012 तक पांचवे वेतनमान के प्रावधानों के अन्तर्गत एवं दिनांक 8.11.2012 में छठे वेतनमानों के प्रावधानों की पालना की गई।

सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर एवं पदों हेतु चयन समिति की अनुशंसायें माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 24.7

प्रबंध मण्डल के द्वारा केरियर एडवॉन्समेंट योजना के तहत प्रकरणों पर सी.ए. एस. समिति की अनुशंसायें निम्नांकित अनुमोदित की गई। प्रबंध मण्डल द्वारा आज ही तत्संबंधी आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये।

1. सिविल इंजीनियरिंग विभाग राज. तक. विश्वविद्यालय, कोटा

अ) प्रोफेसर (पांचवा वेतन)

डा. जे.के. शर्मा	दिनांक 18.8.2009 से प्रभावी
डा. ए.के. द्विवेदी	दिनांक 07.9.2009 से प्रभावी
डा. राजेश सिंघल (जियोलॉजी)	दिनांक 23.6.2010 से प्रभावी
डा. अजय बिंदलिश	दिनांक 23.8.2012 से प्रभावी

ब) प्रोफेसर (छठा वेतन)

डा. के.एस. गोवर	दिनांक 20.6.2015 से प्रभावी
-----------------	-----------------------------

स) एसोसिएट प्रोफेसर (पांचवा वेतन)

डा. वैभव गर्ग	दिनांक 25.4.2011 से प्रभावी (चयनित वेतन) एवं दिनांक 25.4.2014 (एसोसिएट प्रोफेसर पदनामित)
---------------	---

2. यांत्रिकी इंजीनियरिंग विभाग राज. तक. विश्वविद्यालय, कोटा

अ) प्रोफेसर (पांचवा वेतन)

डा. आर. श्रृंगी	दिनांक 20.4.2009 से प्रभावी
डा. संजीव मिश्रा	दिनांक 23.8.2009 से प्रभावी
डा. वी.के. गोराना	दिनांक 17.7.2012 से प्रभावी

ब) प्रोफेसर (छठा वेतन)

डा. आनन्द चतुर्वेदी	दिनांक 8.11.2012 से प्रभावी
---------------------	-----------------------------

स) एसोसिएट प्रोफेसर (पांचवा वेतन)

डा. शिव लाल दिनांक 2.5.2009 से प्रभावी (चयनित वेतन) एवं  
दिनांक 2.5.2012 (एसोसिएट प्रोफेसर पदनामित)

3. विद्युत इंजीनियरिंग विभाग राज. तक. विश्वविद्यालय, कोटा

अ) प्रोफेसर (पांचवा वेतन)

डा. अन्नपूर्णा भार्गव दिनांक 26.12.2009 से प्रभावी

ब) प्रोफेसर (छठा वेतन)

डा. शशिराज कपूर दिनांक 1.5.2014 से प्रभावी

डा. धीरज पलवलिया दिनांक 21.11.2013 से प्रभावी

4. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग राज. तक. विश्वविद्यालय, कोटा

अ) प्रोफेसर (पांचवा वेतन)

डा. रंजन माहेश्वरी (ईआईसी) दिनांक 7.8.2009 से प्रभावी

स) एसोसिएट प्रोफेसर (पांचवा वेतन)

डा. राजेश भट्ट (ईसी) दिनांक 27.4.2009 से प्रभावी (चयनित वेतन) एवं  
दिनांक 27.4.2012 (एसोसिएट प्रोफेसर पदनामित)

5. एच.ई.ए.एस. राज. तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

अ) प्रोफेसर (पांचवा वेतन)

डा. दिवाकर शर्मा (केमिस्ट्री) दिनांक 7.5.2010 से प्रभावी

डा. आर.सी. बोहरा (गणित) दिनांक 1.8.2008 से प्रभावी

ब) प्रोफेसर (छठा वेतन)

डा. सुनील जैन (फिजिक्स) दिनांक 8.11.2012 से प्रभावी

डा. राजेश लीडिया (अंग्रेजी) दिनांक 6.5.2013 से प्रभावी

श्रीमती मनीषा व्यास (मानविकी) दिनांक 28.4.2013 से प्रभावी

डा. विवेक पाण्डे (केमिस्ट्री) दिनांक 8.11.2012 से प्रभावी

स) व्याख्याता चयनित वेतन (पांचवा वेतन)

डा. इरम अल्वी (अंग्रेजी) दिनांक 28.6.2012 से प्रभावी

स्टेज प्रथम (एजीपी रूपये 6000/-) से स्टेज द्वितीय (एजीपी रूपये  
7000/-)

असिस्टेंट प्रोफेसर (छठा वेतन)

श्री दीपक भाटिया (ईसी) दिनांक 25.6.2013 से प्रभावी

श्री दिनेश सोनी (सीएसई) दिनांक 26.6.2014 से प्रभावी

श्रीमती निर्मला शर्मा (सीएसई) दिनांक 26.6.2014 से प्रभावी

श्री संतोष कुमार शर्मा (ईई) दिनांक 30.6.2013 से प्रभावी

श्रीमती सीमा अग्रवाल (ईई) दिनांक 24.7.2013 से प्रभावी

श्रीमती सुनिता चाहर (ईई) दिनांक 24.7.2013 से प्रभावी

**BoM 24.8****To consider the proposed Statutes of Rajasthan Technical University**

Proposed Statutes of Rajasthan Technical University, Kota are being placed for consideration and approval of the Hon'ble members. (Annexure 24.8 Page No. 126 to 203)

**Resolution 24.8** *Members unanimously approved the proposed draft Statutes. Further, it is proposed to submit the Statutes for approval of Chancellor of the Rajasthan Technical University, Kota under section 38 (4) & (5) of RTU Act 2006. Any observations by the Hon'ble members may be incorporated in the Statutes within 10 days of issue of the Minutes.*

प्र.म.24.8

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रस्तावित परिनियम माननीय सदस्यों के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन के लिए कतिपय परिनियम तैयार कर माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ संलग्न है। (परिशिष्ट संख्या 126-203 पृष्ठ संख्या )

संकल्प 24.8

माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तावित प्रारूप परिनियमों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रस्तावित परिनियमों को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 38 (4) एवं (5) के अनुसरण में माननीय कुलाधिपति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किया गया। यदि माननीय सदस्यों के कोई सुझाव हों तो कार्यवाही विवरण जारी होने के दस दिवस के अन्दर प्राप्त होने पर परिनियमों में जोड़ दिये जायेंगे।

BoM 24.9

**To peruse and direction on the matter of appointment of Professor in Computer Science & Engineering Department vide resolution of BoM 20.27**

As per the direction of the BoM in its 23<sup>rd</sup> meeting held on 14.03.2015 vide agenda item no. 23.06 the matter was referred to Hon'ble Chancellor for this consideration and direction. The reply from the Governor's house is submitted for the kind perusal and further directions of the Hon'ble members.

प्रम 24.9

प्रबंध मण्डल की 20वीं बैठक के बिन्दु संख्या 20.27 पर कम्प्युटर साईंस विभाग में प्रोफेसर पद पर नियुक्ति प्रकरण के अवलोकन एवं निर्देशन हेतु।

दिनांक 14.03.2015 को सम्पन्न हुई 23वीं प्रबंध मण्डल की बैठक के बिन्दु संख्या 23.06 में मिले निर्देशानुसार महामहिम कुलाधिपति महोदय को विचारार्थ एवं निर्देशन हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया था। माननीय कुलाधिपति महोदय



के कार्यालय से प्राप्त उत्तर माननीय सदस्यों के अवलोकन एवं अग्रिम निर्देशार्थ प्रस्तुत है।

**Resolution 24.9**

*BoM discussed the reply received from AICTE and felt that the reply is ambiguous as it has not clearly answered the question of eligibility of Sh. C P Gupta for the post of Professor in Computer Science Department. Sh. C P Gupta has B.E. (Electrical Engineering) from Electrical Engineering Department MNIT, Jaipur and M.Tech. (Computer Technology) from Electrical Engineering Department of IIT Delhi. His Ph.D. is from Mathematics Department of U O Kota. BoM resolved to refer the matter back to AICTE for getting clarification on the issue of eligibility of Sh. C P Gupta on his qualifications as per advertisement and approved equivalence norms. Hon'ble Members also wanted a clarification from AICTE that whether Ph.D. in Mathematics from Department of Mathematics, University of Kota is equivalent to Ph.D. in Computer Science. After receiving the reply from AICTE, matter shall be reported to BoM for further directions. The BoM also resolved that the selection made under VI pay commission the status report of appointments may be submitted to next BoM within one month. The Vice Chancellor is authorised to prepare report.*

**संकल्प**

प्रबंध मण्डल द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से प्राप्त जवाब पर वार्ता की गई और सभी सदस्यों का मानना था कि प्रोफेसर के पद के लिए योग्यताओं सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर अस्पष्ट है, क्योंकि श्री सी.पी. गुप्ता ने बी. ई. (विद्युत अभियांत्रिकी) में एम.एन.आई.टी. जयपुर से की है तथा एम.टेक. (कम्प्यूटर टेक्नॉलॉजी) आई.आई.टी. दिल्ली के विद्युत अभियांत्रिकी विभाग से की है। इन्होंने पी.एच.डी. कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के गणित विभाग से की है। प्रबंध मण्डल द्वारा निर्णय किया गया कि श्री सी.पी. गुप्ता के योग्यता संबंधी प्रकरण पर पुनः मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को लिखा जावे कि क्या उनकी योग्यता जारी विज्ञापन के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदित प्रावधानों के अन्तर्गत गणित विभाग, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा से की गई पी.एच.डी., कम्प्यूटर साइंस में की जाने वाली पी.एच.डी. के समतुल्य हैं ? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से उत्तर प्राप्त होने पर प्रबंध मण्डल की आगामी बैठक में प्रकरण को पुनः रिपोर्ट आगामी मार्गदर्शन हेतु किया जावे। प्रबंध मण्डल द्वारा यह भी निर्णित किया गया कि छठे वेतनमान में की गई नियुक्ति की स्टेट्स रिपोर्ट आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में एक माह में प्रस्तुत की जावे। माननीय कुलपति महोदय को उक्त रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया।



BoM 24.10

To peruse and direction on the matter of appointment of Asstt. Professor in Electronics Instrumentation & Control Department vide resolution of BoM 20.27

As per the direction of the BoM in its 23<sup>rd</sup> meeting held on 14.03.2015 vide agenda item no. 23.06 the matter was referred to Hon'ble Chancellor for their consideration and direction. The reply from the Governor's house is submitted for the kind perusal and further directions of the Hon'ble members.

प्रम 24.10

प्रबंध मण्डल की 20वीं बैठक के बिन्दु संख्या 20.27 पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रुमेंटेशन एण्ड कन्ट्रोल विभाग में सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति प्रकरण अवलोकन एवं निर्देशन हेतु।

दिनांक 14.03.2015 को सम्पन्न हुई 23वीं प्रबंध मण्डल की बैठक के बिन्दु संख्या 23.06 को महामहिम कुलाधिपति महोदय के विचारार्थ एवं निर्देशन हेतु प्रेषित किया गया था। माननीय कुलाधिपति महोदय के कार्यालय से प्राप्त उत्तर माननीय सदस्यों के अवलोकन एवं अग्रिम निर्देशार्थ प्रस्तुत है।

Resolution 24.10

*BoM discussed the question of eligibility of Sh. M L Meena for the post of Assistant Professor in Electronics Department. Sh. M L Meena has B.E. (Electronics and Communication Engineering) from Electronics and Communication Engineering Department of ECK, Kota and M.Tech. (Electronics and Communication Engineering) from Electronics and Communication Department of MNIT, Jaipur. He has applied for the post of Assistant Professor in Electronics Instrumentation and Control Engineering. BoM resolved to refer the matter back to AICTE for getting clarification on the issue of eligibility of Sh. M.L Meena on his qualifications as per advertisement and approved equivalence norms. Hon'ble Members also wanted a clarification from AICTE that whether a person having B.E. and M.E. in Electronics and Communication Engineering is eligible for the post of Assistant Professor in Electronics Instrumentation and Control Engineering. After receiving the reply from AICTE, matter shall be reported to BoM for further directions. The BoM also resolved that the selection made under VI pay commission the status report of appointments may be submitted to next BoM within one month. The Vice Chancellor is authorised to prepare report.*

संकल्प

प्रबंध मण्डल ने श्री एम.एल. मीणा की सहायक प्रोफेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रुमेंटेशन एण्ड कन्ट्रोल के पद के प्रकरण पर विचार करते हुए पाया कि श्री मीणा ने अपनी बी.ई. (इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग) इंजीनियरिंग कॉलेज, कोटा तथा एम. टेक. (इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग) एम.एन.आई.टी. जयपुर से है। इन्होंने सहायक प्रोफेसर,



इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एण्ड कन्ट्रोल के पद हेतु आवेदन किया है। प्रबंध मण्डल ने निर्णय करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से पुनः पद की पात्रता के प्रकरण पर श्री मीणा की शैक्षणिक योग्यता, विज्ञापित पद एवं पद हेतु अनुमोदित समतुल्य प्रावधानों पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जावे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से उत्तर प्राप्त होने पर प्रबंध मण्डल की आगामी बैठक में प्रकरण को पुनः रिपोर्ट आगामी मार्गदर्शन हेतु किया जावे। प्रबंध मण्डल द्वारा यह भी निर्णित किया गया कि छठे वेतनमान में की गई नियुक्ति की स्टेड्स रिपोर्ट आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में एक माह में प्रस्तुत की जावे। माननीय कुलपति महोदय को उक्त रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया।

#### **BoM 24.11**

**Recommendation of of Committee constituted vide BoM agenda Item no. 20.11 held on 23.9.2014 for allowing notional increments to the teachers who served other institutions after taking extra ordinary leave from the University.**

05 (Five) Teachers of the University had taken Extra Ordinary leave to serve other institutions for one year. These teachers had requested to allow notional increments for the period spent outside the University services. To consider their request, the BoM had constituted a committee vide agenda item No 20.11.

**The Recommendations of the committee is submitted for the perusal and approval of the hon'ble members. (Annexure 24.11 Page No. 206).**

***Resolution 24.11 The recommendations of the committee was perused by the Hon'ble members. Since UoR statutes are being followed by RTU and accordingly the UoR, leave taken for employment elsewhere are to be considered for notional increments as they are treated as permanent. Hence forth any teacher/officer & employee seeking such leaves shall be entitled for notional increments.***

प्र.म. 24.11

दिनांक 23.9.2014 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 20वीं बैठक के बिन्दु संख्या 20.11 पर शिक्षकों के द्वारा अन्यत्र संस्थानों में विश्वविद्यालय से असाधारण अवकाश लेकर जाने पर उक्त अवधि के काल्पनिक वेतन वृद्धि हेतु गठित समिति की अनुशंसा बाबत।



विश्वविद्यालय के पांच शिक्षकों ने एक वर्ष का असाधारण अवकाश लेकर विभिन्न संस्थाओं में कार्य किया है। असाधारण अवकाश के कारण पुनः वापिस सेवा में लौटने के कारण इन शिक्षकों द्वारा वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिये जाने का अनुरोध किया गया। इन शिक्षकों के अनुरोध पर प्रकरण को प्रबन्ध मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिस पर बिन्दु संख्या 20.11 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया गया।

गठित समिति की अनुशंसाएँ (परिशिष्ट संख्या 24.11 पृष्ठ संख्या 206 पर) माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 24.11

समिति अनुशंसाओं का माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। चूंकि राजस्थान विश्वविद्यालय के परिनियमों का राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में अनुसरण किया जा रहा है। तदनुसार, अन्यत्र सेवा करने हेतु लिये गये अवकाश के लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि देय होगी। भविष्य में भी इस प्रकार का अवकाश लेने वाले कोई भी शिक्षक/ अधिकारी एवं कर्मचारी काल्पनिक वेतनवृद्धि के पात्र होंगे।

BoM 24.12

**To Consider the Performa for Annual Performance Appraisal Report (APAR) for the University Faculty.**

A draft format of the Annual Performance Appraisal Report (APAR) for the University teachers is being proposed for consideration and approval of the Hon'ble members. (Annexure 24.12 Page No. 207-215)

**Resolution 24.12** *Approved and a time frame is to be made available for teachers to fill APR online.*

प्र.म. 24.12

विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का प्रारूप अनुमोदन हेतु (परिशिष्ट संख्या 24.12 पृष्ठ संख्या 207 से 215 पर) माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 24.12

अनुमोदन किया गया एवं ए.पी.आर. को ऑन लाईन भरने के लिए एक समय सीमा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया।

BoM 24.13

**To consider the selection criteria for open selections of Asstt. Prof., Asso. Prof. and Professors of University Departments of RTU.**

AICTE has prescribed the guide lines for Direct Recruitment of teachers in University vide its Gazette Notification dated 8-11-2012. It is proposed to adopt the same for direct recruitment on various post in department of RTU. (Annexure 24.13 Page No. 216-217)

Members are requested to approve the same.

**Resolution 24.13** *Agenda item is deferred back to be put up in next BoM meeting with more details along with status report (Agenda 24.9).*

प्र.म. 24.13

विश्वविद्यालय के विभागों के लिए सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर्स की सीधी भर्ती के लिए मानक/कसौटी पर विचार करना।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए गजट नोटिफिकेशन दिनांक 8.11.2012 द्वारा दिशा निर्देश जारी किए। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के विभिन्न विभागों में शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए उन्हीं दिशा निर्देशों को लागू करना प्रस्तावित है। (परिशिष्ट संख्या 24.13 पृष्ठ संख्या 216-217 पर)

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु।

संकल्प 24.13

उक्त कार्यसूची बिन्दु को आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में विस्तृत जानकारी एवं स्टेट्स रिपोर्ट (कार्य सूची 24.9) के साथ रखने का निर्णय लिया गया।

**BoM 24.14**

**To consider the digital evaluation (through scanning) of answer books from exams of academic session 2015-16**

It is proposed to consider digital evaluation (through scanning) of answer books from exams of 2015-16 with objectives

- i) Using technology development in evaluation of answer books.
- ii) Keeping digital copy of answer book for a large period of time for RTI/Court Cases etc.
- iii) Reducing risk and cost of transporting answer books for evaluation and back to the University.
- iv) Enhancing transparency in evaluation work etc.

Members are requested to approve digital evaluation of answer books from session 2015-16.

**Resolution 24.14** *Approved. CoE was directed to initiate it with a Pilot project of approximately 20000 answer book.*

प्र.म. 24.14

सत्र 2015-16 से आयोजित की जाने वाली विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं को स्केन कर उनकी जांच डिजीटल मूल्यांकन प्रक्रिया के करवाये जाने के संबंध में।



सत्र 2015-16 से आयोजित की जाने वाली विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं को स्कैन कर उनकी जांच डिजीटल मूल्यांकन प्रक्रिया से करवाये जाने के उद्देश्य निम्न है :-

1. तकनीकी रूप से विकसित संसाधनों को प्रयोग में लाना।
2. उत्तर पुस्तिकाओं को डिजीटल रूप में लम्बे समय तक संघारित करना जिससे समय समय पर उन्हें सूचना के अधिकार एवं माननीय न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों के निस्तारण हेतु उपयोग लिया जा सके।
3. उत्तर पुस्तिकाओं को जांच हेतु मूल रूप में लाने ले जाने में होने वाली संभावित क्षति व अनावश्यक व्यय से बचना।
4. उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कार्य आदि में अधिक पारदर्शिता लाना।

उत्तर पुस्तिकाओं का डिजीटल मूल्यांकन अकादमिक सत्र 2015-16 से करने का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**संकल्प 24.14**

अनुमोदन किया गया। परीक्षा नियंत्रक को इस कार्य को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 20000 उत्तर पुस्तिकाओं के साथ प्रारम्भ करने के निर्देश दिए गए।

**BoM 24.1 (R)**

**To pursue the office orders approved by Hon'ble Vice Chancellor under section of 12 (6) of RTU Act 2006 for smooth functioning of the University.**

In the interest of the University and smooth functioning of University Hon'ble Vice Chancellor approve office orders regarding establish of new departments of RTU under section 12 (6) are placed at annexure 24.1(R) page No. 218 to 237 for approval of Hon'ble members of BoM.

**Resolution 24.1(R) Approved.**

**प्र.म. 24.1(आर)**

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(6) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय का कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न करने हेतु प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किये गये आदेशों के अवलोकनार्थ।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के सुचारु रूप से कार्य करने हेतु माननीय कुलपति द्वारा आरटीयू एक्ट 2006 के धारा 12(6) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में नये विभाग स्थापित किये गये हैं।

अतः तत्सम्बन्धी आदेश परिशिष्ट संख्या प्र.म. 24.1(आर) पृष्ठ संख्या 218 से 237 पर माननीय सदस्यों के सूचनार्थ प्रस्तुत है।

**संकल्प 24.1(आर)**

**अनुमोदन किया गया।**

**BoM 24.2 (R)**

**To peruse the pension order issued in the light of BoM resolution no 20.16**

Under agenda item No. 20.16 in the 20<sup>th</sup> BOM meeting it was resolved to implement the pension scheme for teachers and employees of University, working before dated 1.01.2004 . In this reference, with the concurrence of Comptroller of RTU, an order was issued on dated 08.06.2015 to implement pension. The pension will be borne from the amount of own income of university and PF Contribution payable to employees (University Share). Therefore, there shall not be financial burden on the State Government.

Hence the same Order (Annexure 24.2(R) page No. 238) is placed for perusal of Hon'ble members.

***Resolution 24.2(R) The representative of Principal Secretary(Finance) Dept. putforth the letter No.P.8(2)/Fin/Exp1/2013 Part 2 dated 9.7.2015 issued by Finance Dept in which it was urged to withdraw the order of pension issued by University***

***However, the majority of members resolved to refer the pension issue back to the Government for reconsidering the matter in the light of facts/evidences put before the BoM. It was further resolved not to give any physical benefits on account of pension order issued on 8.6.2015 till the appropriate direction from the Government is received.***

**प्र.म.24.2 (आर)**

प्रबन्ध मण्डल के संकल्प 20.16 में लिए गए निर्णयानुरूप पेंशन का आदेश अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

प्रबन्ध मण्डल की 20वीं बैठक में बिन्दु संख्या 20.16 के अन्तर्गत दिनांक 1.1.2004 से पूर्व विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पेंशन योजना लागू करने का अनुमोदन किया गया था । जिसके सन्दर्भ में विश्वविद्यालय के वित्तिय सलाहकार की सहमति से दिनांक 8.6.2015 से पेंशन को लागू कर दिया गया है । यह पेंशन विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं की आय एवं कर्मचारियों को देय भविष्य निधि (विश्वविद्यालय के अंशदान) की राशि में से वहन की जावेगी। अतः राज्य सरकार पर किसी प्रकार का वित्तिय भार उत्पन्न नहीं होगा ।



अतः तत्सम्बन्धी आदेश (परिशिष्ट संख्या 24.2 (आर) पृष्ठ संख्या 238 पर) माननीय सदस्यों के सूचनार्थ प्रस्तुत है ।

संकल्प 24.2(आर)

बैठक में प्रमुख शासन सचिव (वित्त) के प्रतिनिधि द्वारा वित्त (व्यय-1) के पत्रांक प 8(2) वित्त/व्यय-1/2013 पार्ट दिनांक 9.7.2015 की प्रति देते हुए विश्वविद्यालय द्वारा जारी पेंशन आदेश को प्रत्याहारित करने हेतु कहा गया ।

जबकि सभी माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि प्रकरण को प्रबंध मण्डल के समक्ष रखे गये तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर राज्य सरकार के समक्ष पुनर्विचार हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया । जब तक राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त नहीं हो जाते तब तक पेंशन आदेश दिनांक 8.6.2015 के अनुरूप कोई पेंशन लाभ प्रदान नहीं किए जावें ।

**BoM 24.1.T**

Several Legal cases are pending and regularly new legal cases being filled before the different legal courts. Maximum legal cases are pending and being filed before Hon'ble High Court, Jaipur bench and Hon'ble Courts of Kota. Therefore it will be beneficial for the University to appoint a Standing Council at Jaipur and at Kota on similarly grounds as that of being appointed by the other Universities, for timely disposal and proper action in the legal cases.

Hon'ble Members are requested to kindly consider and approve.

**Resolution T24.1**

***Approved***

प्रम 24.1.टी

विश्वविद्यालय में राज्य के विभिन्न न्यायालयों में विधिक प्रकरण लंबित है तथा समय समय पर विधिक प्रकरण भी दर्ज होते रहते हैं। इन विधिक प्रकरणों में अधिकतर प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर एवं माननीय न्यायालय, कोटा में लंबित है एवं दर्ज भी होते हैं। अतः उक्त न्यायालयों में लंबित विधिक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण एवं निष्पादन तथा नए प्रकरणों के संबंध में समय पर विधिक कार्यवाही एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु अन्य विश्वविद्यालयों की तरह जयपुर एवं कोटा में विश्वविद्यालय की तरफ से एक-एक स्टैंडिंग कॉउंसिल की नियुक्ति करना उचित होगा ।

माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

संकल्प टी 24.1

***अनुमोदन किया गया।***

**BoM T 24.2** Duties of the Legal Advisor, Standing Council, Advocate and Officer-in charge in the legal matters of the University. (Annexure 24.2.T Page No. 1 to 3).

Hon'ble Members are requested to kindly consider and approve.

**Resolution T24.2 Approved**

**प्रम टी 24.2** विश्वविद्यालय के विधि सलाहकार, स्टैंडिंग कौंसिल, अधिवक्ता तथा प्रभारी अधिकारी विधिक प्रकरण के कर्तव्य (अनुलग्नक 24.2.टी पृष्ठ 1 से 3)

माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प टी 24.2 **अनुमोदन किया गया।**

**BoM T24.3** An enquiry constituted against Dr. Rajesh Kumar Lidiya, Associate Professor, (English), Deptt. of English and Applied Sciences under 16 CCA of Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958.

An enquiry has been constituted vide Memorandum No. F.2(2)/2014/10559 dated 26-07-2014 under 16 CCA Rules of Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958 on receipt of report of Mahila Utapiden Samiti, Rajasthan Technical University, Kota. Chargesheet and Statement of Allegations have been served to Dr. Rajesh Kumar Lidiya alongwith Memorandum. The report has been filed by Registrar, Rajasthan Technical University, Kota before Police Officer, Dadabari Police Station, Kota vide letter No.F.2(2)/2014/10560 dated 26-06-2014 with a copy to I.G. (Police) Range Kota regarding reports received from Mahila Utapiden Samiti, Rajasthan Technical University, Kota and National Commission for Women, Kota as per legal opinion of Shri Ashok Kumar Bhargava, High Court Advocate, Jaipur. Copy of order No.F.2(2)/2014/11654-57 dated 16-08-2014 and dated 11-07-2014 regarding appointment of Enquiry Board and Presenting Officer in the Enquiry.

Submitted for perusal of the BoM.

**Resolution** The matter of Dr. Rajesh Lidiya was taken seriously by the members of BoM. A committee of Prof. Anil Mathur, member of BoM has been constituted to enquire the case



against Dr. Rajesh Lidiya under Rajasthan Civil Service (Classification, Control & Appeal) Rules, 1958. The committee shall examine the charge sheet along with all the matter till date pertaining to this case and shall submit its report within a month and which shall be presented in next BoM.

BoM authorised HVC to take appropriate action on point 3 of report of recommendation of Mahila Utpidan Samiti.

The apology letter tendered by Dr. Rajesh Lidiya was placed in front of BoM members for their kind perusal.

संकल्प प्रम टी 24.3

डा. राजेश लीडिया का प्रकरण प्रबंध मण्डल के सदस्यों द्वारा गंभीरता से लिया गया। प्रो. अनिल माथुर की समिति बनाकर डा. राजेश लीडिया के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत प्रकरण की जांच करेंगे। समिति आरोप पत्र एवं प्रकरण से संबंधित सभी बिन्दुओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करेगी, जिसे आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में रखा जावेगा।

प्रबंध मण्डल द्वारा माननीय कुलपति महोदय को महिला उत्पीड़न समिति की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 3 के संदर्भ में कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया।

डा. राजेश लीडिया द्वारा प्रस्तुत क्षमा-याचना पत्र को मण्डल के समक्ष अवलोकन हेतु रखा गया।

**BOM T 24.4**

An enquiry constituted against Shri Anant Ballal, Associate Professor, Mechanical Engineering, Rajasthan Technical University, Kota under Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958.

An enquiry has been constituted vide Memorandum No. F.(4)Gr.1/3.29/2015/948-49 dated 10-04-2015 under 16 CCA Rules of Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958 on receipt of report of Mahila Utapiden Samiti, Rajasthan Technical University, Kota on complaint of student Ms. Anushka Sharma and Shri Om Birla, Hon'ble M.P. Chargesheet and Statement of Allegations have been served to Shri Anant Ballal, Associate Professor, Mechanical Engineering, Rajasthan Technical University, Kota alongwith Memorandum.

Submitted for perusal of the BOM.



## Resolution

1. Sh. Anant ballal, Associate Professor was suspended on the complaint of girl student as given above in agenda. The very act of Sh. Anant Ballal was taken very seriously and his suspension was approved by the BoM.

2. On the basis of his application, BoM reconsidered the matter and resolved to revoke his suspension but pending enquiry constituted earlier under Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules,1958 shall continue. A single member committee of Pro Vice Chancellor Prof. N.P. Kaushik has been constituted to conduct the enquiry pending under Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules,1958 and submit its report within a month.

The Dean of Faculty Affairs has been authorized to monitor the services of Shri Ballal after revoking of suspension. The dean of Faculty Affairs shall submit the detailed monthly report of his conduct to HVC for his perusal and necessary action.

## संकल्पप्रमटी 24.4

1. प्रोफेसर अनन्त बलाल को एक छात्रा की शिकायत के आधार पर निलम्बित किया गया था। श्री बलाल के उक्त कृत्य को प्रबंध मण्डल की बैठक में रखा गया एवं माननीय सदस्यों द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया।

2. श्री बलाल के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण पर माननीय सदस्यों द्वारा पुनर्विचार किया गया एवं निर्णय लिया गया कि श्री बलाल का निलम्बन आदेश वापिस ले लिया जावे, परन्तु राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत 16 सीसीए की जांच कार्यवाही जारी रहेगी। प्रति कुलपति की एकल समिति गठित कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत लम्बित जांच पूर्ण करने का निर्णय लिया गया।

श्री बलाल के निलम्बन वापस लेने के पश्चात उनकी सेवाओं की निगरानी कर मासिक रिपोर्ट माननीय कुलपति महोदय को देने हेतु डीन, फेकल्टी अफेयर को अधिकृत किया गया।

## BOM T24.5

To take prior approval for starting consultancy/coaching/website etc.by the faculty/Family members of RTU.

The faculty members of RTU who are involved in coaching/consultancy/website/business activities at



personal level at Private Sector are required to take prior approval from the competent authority before starting such type of activities. If any faculty found indulging in above activities without seeking prior approval, disciplinary action shall be initiated against such faculty.

**Resolution T24.5 *Approved***

प्रम टी 24.5

विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/परिवार के सदस्यों द्वारा कॉचिंग अथवा कॉचिंग/व्यक्तिगत कंसलटेंसी/वेबसाईट संचालन से पूर्व विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त करने बाबत।

विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक/पारिवारिक सदस्य व्यक्तिगत कॉचिंग संस्थान का संचालन करता है/कंसलटेंसी कार्य करता है अथवा वेबसाईट/व्यवसायिक कार्य का संचालन करता है तो उसे कार्य करने से पूर्व विश्वविद्यालय से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। सक्षम स्वीकृति प्राप्त नहीं होने की दशा में यदि कोई शिक्षक ऐसा करते पाया गया तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

संकल्प प्रमटी 24.5

*अनुमोदन किया गया।*

**BOM T 24.6**

To consider relaxation in purchase of Air Conditioners in persuance of Finance Department (Income & Expenditure Section) letter No. प१ (1)वित्त-1(1)आ.व्य/2010 दिनांक 30.6.2010. by the BoM

In the budget provision of 2015-16, as approved by 14<sup>th</sup> FC, a provision of Rs. 75.00 lac has been made for purchase of Air Conditioner. Above items are available on DGS&D rates. As per the contract proposed 110 Air conditioner are estimated at Rs. 36.00 lac. Hon'ble Vice Chancellor has granted permission after purchase under section 12 of RTU Act 2006 through account & finance department. With reference to circular of FD vide no प१ (1)वित्त-1(1)आ.व्य/2010 दिनांक 30.6.2010 the Board of Management is authorised to grant relaxation for purchase of Air Conditioner. Proposal is submitted for approval.

**Resolution**

*Agenda withdrawn may be put up later on.*



प्रम टी 24.6

वित्त विभाग (आय-व्ययक अनुभाग) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प9 (1)वित्त-1(1)आ.व्य/2010 दिनांक 30.6.2010 के अनुसार एयर कंडीशनर क्रय हेतु संचालक मण्डल द्वारा शिथिलता प्रदान करने के संबंध में।

14वीं वित्त समिति में अनुमोदित बजट अनुमान 2015-16 के अन्तर्गत एयर कंडीशनर मद में राशि रूपये 75.00 लाख का प्रावधान किया गया है। उक्त उपापन की मदें डीजीएस एण्ड डी की दर संविदा (23.07.2015 तक वैद्य) पर उपलब्ध है। उक्त दर संविदा के अनुसार प्रस्तावित 110 स्पिलिट एयर कंडीशनर की अनुमानित लागत राशि 36.00 लाख है। माननीय कुलपति महोदय द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत उक्त उपापन की स्वीकृति प्रदत्त किये जाने से क्रयादेश जारी करने संबंधी समस्त कार्यवाहियां (अधिनियम व नियमों में विहित) वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा सम्पादित की जा चुकी है। वित्त विभाग (आय-व्ययक अनुभाग) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प9 (1)वित्त-1(1)आ.व्य/2010 दिनांक 30.6.2010 के अंतिम पैरा में वर्णितानुसार इस क्रय प्रकरण में संचालक मण्डल को शिथिलता प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया है। (प्रति संलग्न) प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प

एजेण्डा वापिस लिया गया, आगे पुनः रखा जायेगा।

**BOM T 24.7**

To consider the matter of Lab Attendant/Medical Attendant promotion as per resolution of BoM.

An office order was issued No. F(4)Fr.2/Promotion policy/2010/3554-57 dated 19.7.2010 as per the approval of 6<sup>th</sup> BoM agenda No. 6.8 held on 22.1.2009. All the points covered in the office order were implemented except following items-

- 8% promotion for the post of Lab Attendant /Medical Attendant to Clerk Grade II (LDC) through DPC
- 8% Promotion from the post Classe IV to Technician through DPC.
- 15% promotion from Lab Attendant / Medical Attendant to the post of Technician (already implemented by giving ad-hoc promotion which is to be made regular as followed in other cases).

**Resolution**

**Several employees affected by non compliance of above items, made representations to the BoM. BoM resolved**



unanimously to implement the items left in the earlier office order dated 19.7.2010 and report the compliance in the next BoM meeting.

प्रम टी 24.7

प्रयोगशाला अनुचर / मेडिकल अटेण्डेण्ट की पदोन्नतियों का प्रकरण प्रबंध मण्डल के समक्ष विचारार्थ

दिनांक 22.1.2009 को प्रबंध मण्डल की 6ठी बैठक आहूत की गई थी, जिसमें कार्यसूची के बिन्दु संख्या 6.8 में प्राप्त अनुमोदनानुसार प्रसारित विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश संख्या एफ (4) गुप-2/प्रमोशन पॉलिसी/2010/3554-57 दिनांक 19.7.2010 की अनुपालना में निम्न बिन्दुओं के अतिरिक्त नहीं हुई है:-

- 8 प्रतिशत पदोन्नति प्रयोगशाला अनुचर / मेडिकल अटेण्डेण्ट के पद से क्लर्क ग्रेड-1A (एलडीसी) पद पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति

- 8 प्रतिशत पदोन्नति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से तकनीशियन पद पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति

- 15 प्रतिशत पदोन्नति प्रयोगशाला अनुचर / मेडिकल अटेण्डेण्ट के पद से तकनीशियन के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति करते हुए तदर्थ पदोन्नति पात्र कार्मिकों को दी गई है, जबकि अन्य सभी पदोन्नतियां विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से नियमित की गई है।

संकल्प

उक्त आदेश दिनांक 19.7.2010 की पूर्णतः अनुपालना नहीं होने से प्रभावी कार्मिकों द्वारा प्रबंध मण्डल के समक्ष परिवेदनायें प्रस्तुत की गई है। प्रबंध मण्डल के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त आदेश के अन्तर्गत शेष कार्मिकों को शीघ्र ही पदोन्नति का लाभ देते हुए अनुपालना की जावे तथा अनुपालना रिपोर्ट आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत की जावे।

*Understanding*  
29/07/2015  
(प्रो विवेक पाण्डे)  
सदस्य सचिव

*[Signature]*  
(प्रो विनय पाठक)  
अध्यक्ष

*(On the behalf of Sri Bahadur Gungyal, the family of late Abhiraj Singh, student of 1<sup>st</sup> year, should be given Rs 3.00 lacs from University fund.)*  
*[Signature]*



To,

Hon'ble Vice Chancellor &  
Chairman Board of Management  
Rajasthan technical University  
Kota

Sub: Regarding observations in minutes of 24<sup>th</sup> meeting of BoM.

Sir,

With respect of the agenda item number BoM 24.8 of the 24<sup>th</sup> meeting of BoM held on 13<sup>th</sup> July 2015, I have certain observations with regard to proposed statutes. These observations are tabulated as under:

Item No.	Sub Section	Details	
80	(ii)	Existing	-Faculty of Management (including Hotel Management & Catering Technology (FOM)
		Proposed	The abbreviations shall be renamed as -Faculty of Management (including Hotel Management & Catering Technology (FOMS)
	(iii)	Existing	-Faculty of Computer Applications (FOC)
		Proposed	-Faculty of Computer Applications (FOCA)
	(iv)	Existing	-Faculty of Applied Science (FAS)
		Proposed	-Faculty of Applied Science (FOAS)
90		Existing	Additional powers and duties of Dean of Industry Institute Interaction and Institutional Relations.
		Proposed	Powers and duties of Dean of Industry Institute Interaction and Institutional Relations
92		Existing	Additional powers and duties of the Dean Research
		Proposed	Powers and duties of the Dean Research
94		Existing	Additional powers and duties of the Dean of Faculty Affairs
		Proposed	Powers and duties of the Dean of Faculty Affairs
96		Existing	Additional powers and duties of the Dean of Academic Affairs
		Proposed	Powers and duties of the Dean of Academic Affairs
94	(vi)	Existing	Shall look after the welfare aspects of the teachers pertaining to his faculty of college.
		Proposed	Pertaining to University Teaching Departments.
96	(xiii) & (xiv)	Existing	
		Proposed	Numbering to be corrected.
97	(m)	Existing	Shall recommend for any disciplinary action of teachers and employees working under him
		Proposed	Shall recommend for any disciplinary action of teachers (junior to him) and employees working under him.



	(o)	Existing	Be the disciplinary officer for all the teachers and staff working in the department
		Proposed	Be the disciplinary officer for all the staff working in the department
98	(vi)	Existing	
		Proposed	To be added as - He shall prepare the information brochure of all the University teaching departments and arrange for industrial visits and educational tours as per the requirement of curriculum.  Shall conduct the entrepreneurship program in the University teaching department.  Shall evaluate training reports submitted by the students of the University teaching department and also take the feedback from industries regarding the updation of the curriculum.

It is requested that these corrections may be made in proposed statutes as these do not affect the main objectives of the statutes.

With regards

Yours' sincerely

*Anil K Mathur*  
23.3

(Anil K. Mathur)

Dean, FOEA and Member, BoM

✓ copy to: Registrar and Member Secretary, BoM.

*Pl include correction  
sent to HE*



